14/8/2018 सरकारी पैरोकार उप०।

अपार्थी के नाम जारी नोटिस पर अपार्थी फौत होने की रिपोर्ट आई है। अतः मृतक के विरुद्ध प्रा० पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही TDR Sojat को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपार्थी के का.मु. की जांच कर नये सिरे से 15 दिवस में रेफरेन्स प्रा. पत्र पेश करें। पालनार्थ TDR Sojat को तहरीर जारी हो। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलेक्टर, पाली